संख्याः 924 /XI/2018/56(36)2011

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 26 अप्रैल, 2018

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बजट अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास, के पत्र संख्या–58/लेखा/मनरेगा/2016–17 दिनांक 17 अप्रैल, 2018 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/दिनांक 02.04.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत "**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना**" के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट की धनराशि के सापेक्ष रू0 **47.26 लाख (रू0 सैंतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न तालिका के मानक मदों के अनुसार** आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि को अविलम्ब आहरित कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाए। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निवर्तन पर रखी गयी धनराशि प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. किसी भी लेखाशीर्षक/मद में बजट प्राविधान के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि की सीमा में ही व्यय किया जाए। बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में व्यय न किया जाए और न ही पुर्नविनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाए।
5. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रुल्स, 2017 तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएं उनमें स्पष्ट रुप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख भी किया जाए।
7. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाए और प्रत्येक माह की स्वीकृति व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
8. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए। बी0एम0–13 पर नियमित रुप से सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।

9. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक अवश्य कर लिया जाय एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–19** के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–18–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना मद हेतु **संलग्नक 'क'** के अनुसार उल्लिखित लेखाशीर्षक के मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर **S1804190271** दिनांकः 18.04.2018 से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः **/2018/56(36)2011 तद्दिनॉक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
4. परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. अनु सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 924 /XI/2018/ 56(36)2011 दिनांकः 20 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1.	2.	3.	5.
	अनुदान संख्या–19 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102–सामुदायिक विकास 18– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना		
2.	01–वेतन	38.00	38.00
3.	03–मंहगाई भत्ता	3.26	3.26
4.	04–यात्रा व्यय	0.25	0.25
6.	06–अन्य भत्ते	3.98	3.98
10.	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25	0.25
14.	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.67	0.67
16.	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.60	0.60
19.	42–अन्य व्यय	0.25	0.25
	योग	47.26	47.26

(₹ सैंतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र)

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 929 XI/18/56(36)2011

अलोटमेंट आई डी - S1804190271

अनुदान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक -18-Apr-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 -

102 - सामुदायिक विकास

00 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश 18 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	3800000	3800000
03 - महंगाई भत्ता	0	326000	326000
04 - यात्रा व्यय	0	25000	25000
06 - अन्य भत्ते	0	398000	398000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों क	0	25000	25000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेव	0	67000	67000
19 - विज्ञापन, विक्री और प्रचार	0	60000	60000
42 - अन्य व्यय	0	25000	25000
	0	**4726000**	**4726000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4726000